...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...र्थना–पत्र:–172 / 2019

दायर दिनांक: 13.11.2019

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

हजारी आत्मज किशन जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 251"क" आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 09.10.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 153 की कृषि भूमि खसरा सं. 276 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं. 284 / 659 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं. 284 / 260 रकबा 10 बिस्वा, खसरा सं. 284 / 661 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी के अकेले के खातेदारी अधिकार एंव आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त ग्राम के जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 01 की खसरा सं. 284 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा सं. 284 / 660 में जाने का आम रास्ता भूमि के पश्चिम ओर स्थित प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि में होकर निकर रही सी.सी. सड़क से रमेश महाजन के मकान के उत्तरी ओर से करीबन 20 फीट चौड़ाई में पश्चिम से उत्तरी पूर्वी होता हुआ खसरा सं. 284 / 660 तक पहुंचता है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग वर्षो से करता चला आ रहा है। प्रार्थी प्रस्तुत नजरी नक्शें के अनुसार भूमि को रास्ते की भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है, इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने चरण सं. 1 व 2 में वर्णित भूमियों की जमाबन्दियां, आंशिक नक्शा ट्रेश, शपथ–पत्र पेश किये है। प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार नैनवां से रास्ते के सन्दर्भ में रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें बताया कि ग्राम बोरदा मे प्रार्थी हजारी वल्द श्रीकिशन कोम बैरवा सा.देह खातेदार अपने खेत सं. खसरा नं. 284 / 660 रकबा 0–10 बीघा में जाने के लिये रास्ता ग्राम की आबादी बैरवों का झोंपड़ा से चाहता है, जो कि खसरा नं. 284 रकबा 06–02 बीघा बंजड़ सिवायचक भूमि में नजरी नक्शें में नीली स्याही से दर्शाये गये रास्ते को ग्राम पंचायत बालापुरा द्वारा मोके पर सी.सी. रोड बना हुआ... सिवायचक रकबा 06–02 बीघा में से 2 गठ्ठा चौड़ा व 34 गठ्ठा लम्बा जो ... वर्ग गठ्ठा कुल 0.04 बीघा क्षेत्रफल हैं। प्रस्तावित रास्ता नक्खा... बालापुरा द्वारा सीसी रोड़ नीली स्याही से प्रदर्शित किया...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

E/Feshla 2019

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

ने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं रिपोर्ट रास्ते
तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई, प्रार्थी को उनके
री के खेत में आने–जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता
जसको तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना उपयुक्त माना है तथा
को नक्शा ट्रेश में प्रस्तावित कर पेश किया है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण को अपने खाते के
में पहुंचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार
या जाना न्यायोचित है। ग्राम बोदरा पटवार मण्ड़ल नाहरगंज तहसील नैनवां में जमाबन्दी
वत् 2075–78 के खाता सं. 153 की कृषि भूमि खसरा सं. 276 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा,
सरा सं. 284 / 659 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं. 284 / 260 रकबा 10 बिस्वा, खसरा
नं. 284 / 661 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 06 बीघा भूमि पर आने जाने व ट्रेक्टर
ट्रॉली आदि लाने ले जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 284 सिवायचक रकबा 06–02 बीघा में
से 2 गठ्ठा चौड़ा व 34 गठ्ठा लम्बा जो कि कुल 68 वर्ग गठ्ठा कुल 0.04 बीघा क्षेत्रफल के
अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ते के
नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के
अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा
होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में जिन खातेदारान की भूमि
उपयोग में आती हो, उनको रास्ते की राशि प्रतिकर में से भुगतान की जावे। तहसीलदार नैनवां
को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय मेरे द्वारा
लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner